अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

का.आ. 899 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप-खंड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2424 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2013 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम सं. 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"10.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	8853";

(ख) क्रम सं. 13 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"14.	आईएफसीआई लिमिटेड (पूर्व में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के नाम से ज्ञात)	430"।

[अधिसूचना सं. 19/2014/फा. सं. 178/9/2014-आकनि. I]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना का.आ. 2424(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तदनन्तर का.आ. संख्या 399(अ), दिनांक 13 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2014

S.O. 899 (E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2424(E), dated the 8th of August, 2013, namely:—

In the said notification, in the Table,-

(a) for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"10.	Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC)	8853" ;

(b) after serial number 13, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"14.	IFCI Limited (formerly known as Industrial Finance Corporation of India)	430".

[Notification No. 19/2014/ F. No. 178/9/2014-(ITA. I)]

SURABHI SHARMA, Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2424(E) dated the 8th of August, 2013 and subsequently amended vide S.O. number 399(E), dated the 13th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.